EMPLOYMENT NEW ZEALAND

रोज़गार मध्यस्थता के लिए त्वरित मार्गदर्शिका

MINISTRY OF BUSINESS, INNOVATION & EMPLOYMENT
HĪKINA WHAKATUTUKI

New Zealand Government

EMPLOYMENT
NEW ZEALAND

अस्वीकरण: इस दस्तावेज़ में 1 अप्रैल, 2019 से मालिकों और कर्मचारियों पर कानूनी तौर से लागू होने वाले कुछ न्यूनतम अधिकारों और दायित्वों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। व्यापार नवाचार एवं रोज़गार मंत्रालय इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी के आधार पर उठाए गए किसी भी कदम के परिणामों के लिए, या किसी भी त्रुटि अथवा लोप के लिए उत्तरदायी नहीं है।

5448_1 February 2020 • ISBN • 978 1 99 001900 5 (ऑनलाइन)
978 1 99 001901 2 (प्रिंट)

www.employment.govt.nz | 0800 20 90 20

Welcome, नमस्ते

यदि कार्यस्थल पर आपको समस्याएं हों, तो क्या करें?

आपने अपने बॉस, कर्मचारी या सहकर्मी से बात करके देखा, लेकिन समस्या अभी भी ठीक नहीं हुई। हो सकता है कि आपको अनुचित ढंग से बर्ख़ास्त किया गया हो, या आपको लगता है कि आपको इन कार्य संबंधी समस्याओं के कारण आपको हो रहे तनाव के स्तर के कारण कार्य छोड़ना पड़ा। या आपका स्टाफ आपकी अपेक्षानुसार कार्य नहीं कर रहा है।

आपको हमारी निःशुल्क एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ीलैंड मध्यस्थता सेवा से सहायता मिल सकती है। व्यापार, नवाचार एवं रोज़गार मंत्रालय (MBIE) इस सेवा का संचालन करता है। हमारे मध्यस्थों द्वारा नियोक्ताओं और कर्मचारियों को सहायता दी जा सकती है, ताकि वे रोज़गार संबंधी समस्याओं के लिए अपने समाधान ढूंढसकें।

मध्यस्थता क्या है?

मध्यस्थता एक **सुरक्षित**, **स्वैच्छिक** एवं **गोपनीय** तरीका है जिसमें मालिक और कर्मचारी किसी स्वतंत्र व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से अपने कार्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और अपना समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं।

मध्यस्थ क्या करता है?

- यह समझाना कि पक्ष किस प्रकार से अपनी समस्याओं के बारे में सुरक्षित ढंग से बात कर सकते हैं
- पक्षों को एक-दूसरे का दृष्टिकोण समझने में और जिस पर दोनों सहमत हों ऐसा समाधान ढूंढने में सहायता देना
- मध्यस्थता से जो परस्पर सहमति वाला समाधान मिला हो उसे “समाधान अभिलेख” (कानूनी अनुबंध) के रूप में लिखना।

मध्यस्थता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

रोज़गार समस्या में शामिल कोई भी व्यक्ति, जिसमें आप्रवासी, विद्यार्थी, अस्थायी कार्य वीज़ा वाले व्यक्ति, ठेकेदार एवं प्रतिनिधि शामिल हैं।

इसमें कितनी लागत आती है?

मध्यस्थता निःशुल्क है।

मैं मध्यस्थता के लिए आवेदन कैसे करूं?

1. जांचें कि कार्य संबंधी समस्या में शामिल दूसरा व्यक्ति (अन्य पक्ष) मध्यस्थता के लिए सहमत हुआ है या नहीं।
2. यदि वह सहमत है, तो आप **www.employment.govt.nz/request-mediation** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर www.employment.govt.nz पर ‘मध्यस्थता का अनुरोध करें (Request Mediation)’ खोजकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
3. हम आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए, यदि आपकी कोई संस्कृति या अशक्तता संबंधी आवश्यकताएं हों जिन्हें हमें मध्यस्थता की व्यवस्था करते समय ध्यान में रखना चाहिए, तो कृपया हमें उनके बारे में बताएं।
4. अपने आवेदन के लिए किसी भी समर्थक दस्तावेज़ को संलग्न करें। इसमें नियुक्ति अनुबंध, ईमेल, मध्यस्थता हेतु आवेदन के लिए अपना कारण, और आपके पास हो सकने वाली किसी भी बैठक (मीटिंग) के नोट शामिल हैं।
5. फॉर्म जमा करने के बाद, मध्यस्थता सेवा टीम मध्यस्थता का दिनांक व समय तय करने के लिए आपसे संपर्क करेगी।
6. यदि अन्य पक्ष, मध्यस्थता में भाग लेने के लिए सहमत नहीं है, तो आप अपनी समस्याओं के हल के लिए रोज़गार संबंध प्राधिकरण (एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी/Employment Relations Authority) के पास आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, **www.era.govt.nz** पर जाएं।

मध्यस्थता से पहले मुझे क्या करना चाहिए?

मध्यस्थता से पहले सुनिश्चित करें कि:

- आपके पास आपके मामले के लिखित सारांश से युक्त संक्षिप्त दस्तावेज़ है
- आपके पास सभी महत्वपूर्ण कागज़ात (जैसे रोज़गार अनुबंध, समय एवं वेतन अभिलेख, पत्र एवं ईमेल) हैं
- यह सोचें कि आप समस्याओं के बारे में किस प्रकार बात करेंगे, और आप और क्या कहना चाहते हैं। उसे लिख लेने से आपको सभी बातें याद रखने में आसानी होगी।
- आपको इस बात की एक स्पष्ट समझ है कि आपके विश्वास में समाधान क्या होना चाहिए।

आपको मध्यस्थता के लिए किसी परिधान विशेष की आवश्यकता नहीं है, अपने दैनिक कपड़ों में आ जाएं।

मध्यस्थता बैठक में कौन हो सकता है?

मध्यस्थता बैठक में मध्यस्थ एवं वे लोग हो सकते हैं जो रोज़गार संबंधी समस्या को सुलझाना चाहते हैं (दोनों पक्ष)। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी, या दो कर्मचारी हो सकते हैं। पक्षों द्वारा अधिवक्ता, वक़ील, संघ प्रतिनिधि, रिश्तेदार सहयोगी और/या सहयोगी व्यक्ति को शामिल किया जा सकत अहै।

क्या मध्यस्थता में जाना अदालत जाने जैसा होता है?

नहीं। मध्यस्थता किसी अदालती प्रक्रिया जैसी नहीं होती। मध्यस्थता एक बैठक की तरह है जिसमें पक्ष और मध्यस्थ समस्याओं के बारे में बात करते हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिएसमाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं।

क्या मुझे वकील की आवश्यकता होगी?

यह आप पर है कि आप किसी प्रतिनिधि को शामिल करना चाहते हैं या नहीं। आप अकेले भी मध्यस्थता में भाग ले सकते हैं। हालांकि, यदि मामला पेचीदा है, तो प्रतिनिधि, जैसे कि रोज़गार अधिवक्ता, संघ, मालिकों के संगठन या रोज़गार वक़ील आपके मामले को पेश करने में मदद कर सकते हैं – जैसे, सारे तथ्य जुटाना, और आपके अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में कानून क्या कहता है।

प्रतिनिधियों पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। संघ प्रतिनिधि आमतौर पर निःशुल्क होते हैं।

मध्यस्थता वाले दिन क्या होता है?

1. आपको एक पुष्टि पत्र मिलेगा जिसमें आपकी मध्यस्थता का दिनांक, समय एवं स्थान लिखा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे, तो आपको एक निजी कमरे में ले जाया जाएगा। मध्यस्थ अपना परिचय देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप ठीक हैं। वे प्रत्येक पक्ष से अलग-अलग बात करेंगे।
2. जब आप, अन्य पक्ष, और मध्यस्थ तैयार हों, तो संभावना यह है कि हर कोई एक ही कमरे में मुलाकात करेगा (भले ही, आप ऐसा करना नहीं चुनते हैं)। मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसमें प्रत्येक पक्ष को अपने दृष्टिकोण से समस्याओं के बारे में बोलने के लिए और उनके द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीके के बारे में बताने के लिए मनचाहा समय देना शामिल होगा।
3. जब प्रत्येक पक्ष बोल चुका होगा, तो वे आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिसे मध्यस्थ सुगम बनाएगा। मध्यस्थ दोनों पक्षों को इस बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि समस्या को कैसे हल किया जा सकता है।
4. इस प्रक्रिया का एक भाग यह हो सकता है कि मध्यस्थ हर पक्ष से अलग-अलग बात करेगा। ये चर्चाएं मध्यस्थ और प्रत्येक शामिल पक्ष के बीच गोपनीय होंगी।
5. मध्यस्थ प्रत्येक पक्ष की सहायताता यह सोचने में करेगा कि उचित समाधान क्या हो सकता है, और यदि मध्यस्थता में समस्या हल नहीं हुआ, तो क्या हो सकता है।
6. पक्षों ने जो कुछ सुना उसके बारे में और उनके विकल्प क्या हो सकते हैं इस बारे में सोचने के लिए, या अपने प्रतिनिधियों अथवा सहयोग व्यक्ति से गुप्त रूप से बात करने के लिए मध्यस्थ पक्षों को अल्प-अवकाश लेने का अवसर देगा।

बात कौन करेगा?

आप, अन्य पक्ष और मध्यस्थ बात करेंगे। यह आवश्यक नहीं कि सहयोगी व्यक्ति संयुक्त सत्रों के दौरान बोलें ही, लेकिन वे निजी सत्रों में मददगार हो सकते हैं। प्रतिनिधि अक्सर अपने क्लाइंट की ओर से बोलते हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान खुद पक्षों की ओर से ही आते हैं।

मध्यस्थता में कितना समय लगता है?

आमने-सामने की मध्यस्थता बैठकें लगभग तीन से चार घंटे चलती हैं, पर कुछ अधिक पेचीदा समस्याओं के हल में पूरा दिन लग सकता है।

मैं मध्यस्थता से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करूं?

निम्नलिखित के लिए तैयार रहें:

- दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण सुनना और स्वीकार करना कि यह कहानी का उनकी ओर वाला पहलू है, भले ही आप उनकी बात से सहमत न हों
- कहानी का अपना पहलू समझाना
- जो कुछ हुआ है वह ईमानदारी से और खुलकर बताना
- खुद को दूसरे की जगह रखकर देखना और समस्या हल करने के लिए खुले दिमाग से सोचना।

मध्यस्थता के बाद क्या होता है?

यदि परस्पर सहमति है तो

दोनों पक्ष जिस पर सहमत हुए हैं उसे मध्यस्थ द्वारा समाधान अभिलेख के रूप में लिखा जाएगा। उस पर पक्षों और मध्यस्थ के हस्ताक्षर हो जाने पर, यह दस्तावेज़ गोपनीय, बाध्यकारी, अंतिम और अदालतों के जरिए प्रवर्तनीय बन जाता है।

मध्यस्थ आपको दस्तावेज़ की एक प्रति अपने साथ ले जाने के लिए देगा। उसके बाद दोनों पक्षों को वही करना होगा जिसे करने के लिए वे दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करते समय सहमत हुए थे।

क्या मैं मध्यस्थता बैठक या समाधान अभिलेख के बारे में दूसरों को बता सकता/ती हूं?

नहीं, आप मध्यस्थता के दौरान कही गई बातों के बारे में और समाधान अभिलेख में जिन बातों पर सहमति दी गई उनके बारे में दूसरों से चर्चा नहीं कर सकते हैं। मध्यस्थता गोपनीय होती है।

यदि मैं बाद में अपना विचार बदल लूं

मध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित समाधान अभिलेख अंतिम निर्णय होता है। यदि आप अपना विचार बदलते हैं, तो भी आप अदालत नहीं जा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले आपने वास्तव में समझ लिया है कि आप किस पर सहमति दे रहे हैं।

यदि एक पक्ष अनुबंध तोड़ता है

यदि एक पक्ष वह नहीं करता है जो समाधान अभिलेख में लिखा गया है (जैसे, भुगतान नहीं करता है या परिणाम गोपनीय नहीं रखता है), तो अन्य पक्ष पहले वाले पक्ष से वह करवाने के लिए रोज़गार संबंध अथॉरिटी (एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी/Employment Relations Authority) या रोज़गार अदालत (एम्प्लॉयमेंट कोर्ट/Employment Court) में आवेदन कर सकता है जो करने की उसने सहमति दी थी। आप मध्यस्थ से भी संपर्क कर सकते हैं और उससे अन्य पक्ष से वह करने के बारे में बात करने के लिए कह सकते हैं जिस पर सहमति दी गई थी।

यदि पक्ष किसी समाधान पर सहमत नहीं होते

तो पक्ष:

- मध्यस्थ से **अनुशंसा** देने को कह सकते हैं। यदि दोनों में से कोई भी पक्ष (एक निर्धारित समय सीमा से पहले) अनुशंसा अस्वीकार नहीं करता है, तो वह अंतिम, बाध्यकारी और प्रवर्तनीय हो जाएगी, अथवा
- मध्यस्थ से **अनुशंसा** देने को कह सकते हैं। निर्णय अंतिम, बाध्यकारी, और प्रवर्तनीय होगा
- समस्याओं पर निर्णय (जिसे निर्धारण कहते हैं) के लिए **ERA** (Employment Relations Authority/ एमप्लॉयमेंट रिलेशंस अथॉरिटी (रोज़गार संबंध प्राधिकरण)) में आवेदन कर सकते हैं। ERA अपनी सेवा के लिए शुल्क लेता है। वर्तमान शुल्क जानने के लिए और ERA में कौन आवेदन कर सकता है इस बारे में जानकारी पाने के लिए **www.era.govt.nz/forms-and-fees** पर आएं

टिप्पणियां:

1. यदि कोई बदलाव होता है या आप अन्य पक्ष के साथ किसी हल पर सहमत हो जाते हैं, तो आपको **तत्काल** मध्यस्थता सेवाएं टीम से संपर्क **करना होगा**।
2. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो, तो **www.employment.govt.nz** पर जाएं या हमारे सेवा केंद्र को 0800 20 90 20 पर कॉल करें और हम आपकी सहायता करेंगे।
3. आप **www.employment.govt.nz** पर जाकर आपके रोज़गार अधिकारों, ERA और रोज़गार अदालत (एम्प्लॉयमेंट कोर्ट/Employment Court) के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। हमारे पास रोज़गार अधिकारों और दायित्वों के बारे में कई भाषाओ में संसाधन उपलब्ध हैं।

ENZ 5448